



नेतरहाट विद्यालय समिति



(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

पत्रांक-29/ने.वि.स./2023

राँची, दिनांक-24.05.2023

प्रेषक : सभापति,
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति
राँची।

सेवा में,
प्राचार्य,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय,
नेतरहाट।

विषय :- वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपकी पाँच वर्ष की संविदा अवधि का अंतिम माह चल रहा है। अतः आपके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई जाती है। आप सिर्फ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन और आकस्मिक व्यय (Contingency) के कार्य को ही संपादित करेंगे। आप तत्काल प्रभाव से कोई भी नितिगत निर्णय, निविदा जिससे वित्त संबंध रखता हो को संपादित नहीं करेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

Santosh
24/5/2023
(श्री संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक - 29/ने.वि.स./2023

राँची, दिनांक- 24.05.2023

प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

Santosh
24/5/2023
(श्री संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।